HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 1731/2025

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No.400/2023
CNR: RJHC020735842025 | URN: SOSA / 3346U / 2025

Monu S/o Santosh, R/o Ward No. 2, Gautam Nagar Rewari District Rewari Haryana (At Present Lodged In District Jail Alwar)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Ms. Manisha Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Kumar Saini, P.P. with Mr. Navdeep Singh, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

21/08/2026

अपीलार्थी–अभियुक्त **मोनू** की ओर से धारा 430 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत, विचारण न्यायालय–विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, संख्या–4, अलवर द्वारा सैशन प्रकरण संख्या–**80/2021, सरकार बनाम मोनू** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **23.08.2022** के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदंड सहित अधिकतम 20 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी/अभियुक्त गिरफ्तारी की दिनांक 16.09.2021 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है, उसकी अभिरक्षा अवधि लगभग 5 वर्ष 7 माह की हो चुकी है। उनका यह भी तर्क रहा है कि साक्षीगण के कथनों में विरोधाभास है। उनका यह भी निवेदन है कि पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 प्रदर्श पी02 दिनांक 17.09.2021 को लेखबद्ध किए गए हैं, जिसमें पीड़िता द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध दुष्कर्म किए जाने की कोई साक्ष्य नहीं दी है, मात्र छेड़छाड़ के तथ्य तक सीमित रही है। विचारण के दौरान पीड़िता के बयान पी0डब्ल्यू–1 के रूप में लेखबद्ध हुए हैं, जिसमें पीड़िता ने अपने कथनों में विस्तार किया है, विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों एवं साक्ष्य का समग्रता से एवं विधि के अनुरूप विवेचन नहीं किया गया है, अपील में अपीलार्थी की दोषमुक्ति के पर्याप्त एवं सुदृढ़ आधार हैं, अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

योग्य लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रस्तुत सजा स्थगन आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों–वितर्कों पर मनन किया, पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 प्रदर्श पी–2 दिनांकित 17.09.2021 एवं विचारण के दौरान पीड़िता के पी0डब्ल्यू–1 के रूप में लेखबद्ध बयान, चिकित्सीय साक्ष्य, डी0एन0ए0 रिपोर्ट एवं उपलब्ध अन्य साक्ष्य सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अतः पीड़िता द्वारा अनुसंधान के दौरान एवं विचारण न्यायालय के समक्ष किए गए कथनों की प्रकृति, अपीलार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, प्रकरण के तथ्यों–समस्त परिस्थितियों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर

कोई टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/–रूपए **(अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए **(अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **22.09.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **मोनू पुत्र श्री संतोष** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

63/MAHESH ADWANI